परिशिष्ट

III

वरीयता अनुक्रम
(Table of Precedence)

वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं आर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई, 1979 को जारी की गई थी। यह अधिसूचना पिछली सभी अधिसूचना की तुलना में नया था एवं इसका कई बार संशोधन भी किया गया है। नीचे प्रस्तुत तालिका में इसमें अब तक (2016) तक हुये सभी संशोधनों को शामिल करके इसका पूर्ण अद्यतन रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। यह तालिका इस प्रकार है:

1. राष्ट्रपति
2. उप-राष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्य में
5. भूतपूर्व राष्ट्रपति

5क. उप-प्रधानमंत्री

6. भारत के मुख्य न्यायाधीश
   लोकसभा अध्यक्ष
7. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री,
   राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्य में
   उपाध्यक्ष नीति आयोग
   भूतपूर्व प्रधानमंत्री
   राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता

7क. भारत-रत्न से सम्मानित व्यक्ति

8. भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त
   राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्य के बाहर
   राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्य से बाहर
9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

9क. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
   मुख्य निर्वाचन आयुक्त
   भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

10. राज्यसभा के उप-सभापति,
    राज्यों के उप-मुख्यमंत्री
    लोकसभा के उपाध्यक्ष
    नीति आयोग के सदस्य
    केंद्र के राज्य मंत्री (तथा रक्षा मंत्रालय में रक्षा संबंधी मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री)
11. भारत के महान्यायवादी
    मंत्रिमंडल के सचिव
    उप-राज्यपाल अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में
12. जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष

13. भारत स्थित विदेश के असाधाण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री
14. राज्यों के विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने-अपने क्षेत्राधिकार में
15. राज्यों के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अपने-अपने राज्य में केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र के उप-मंत्री
16. लेफ्टिनेंट जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष
17. केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष
    अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष
    राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष
    राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष
    उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने-अपने क्षेत्राधिकार के बाहर
    उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश (प्यूने जज) अपने-अपने क्षेत्राधिकार में
18. राज्यों के मंत्रिमंडलों के मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर
    राज्यों के विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य से बाहर
    एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग के अध्यक्ष
    राज्य विधान मंडलों के उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्य में
    राज्यों के राज्यमंत्री अपने-अपने राज्य में
    केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली महानगर परिषद के कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में
    केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में
19. बिना मंत्रिपरिषद् वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यायुक्त अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में
    राज्य के उप-मंत्री अपने-अपने राज्य में
    केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में।
20. राज्यों के विधान मंडलों के उप-सभाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्य से बाहर
    राज्यों के राज्यमंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर,
    उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश (प्यूने जज) अपने-अपने क्षेत्राधिकार से बाहर
21. संसद-सदस्य
22. राज्यों के उप-मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर
23. आर्मी कमांडर। उप-थलसेना अध्यक्ष अथवा अन्य सेवाओं में उसके समकक्ष पद वाले अधिकारी
    राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्य में
    भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त
    अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त
    अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य
    राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य
    राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य
    जनरल के रैंक के अथवा उसके समकक्ष रैंक वाले अधिकारी
    भारत सरकार के सचिव (इस पद को पदेन धारण करने वाले अधिकारियों सहित)
    अल्पसंख्यक आयोग के सचिव
    अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव
    राष्ट्रपति के सचिव
    प्रधानमंत्री के सचिव
    सचिव, राज्यसभा व लोकसभा
    सॉलिसिटर जनरल
    केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्ष
24. लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी
25. भारत सरकार के अपर सचिव,
    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
    राज्यों के महाधिवक्ता
    टैरिफ आयोग के अध्यक्ष
    स्थायी एवं अस्थायी कार्यदूत (चार्ज डी अफेयर्स) तथा स्थानापन्न उच्चायुक्त
    केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केंद्रशासित

प्रदेशों से बाहर
राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्य से बाहर
उप-नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक
केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर
निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल
महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
निदेशक, खुफिया ब्यूरो
उप-राज्यपाल अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर
सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
सदस्य, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग
सदस्य, संघ-लोक सेवा आयोग
केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर
मेजर जनरल के रैंक के अथवा समान रैंक वाले सशस्त्र सेनाओं के प्रिंसीपल स्टाफ ऑफिसर्स
केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर

26. भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उनके समान रैंक वाले अधिकारी
मेजर जनरल रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी

टिप्पणियां

नोट 1: वरीयता क्रम की इस तालिका का अर्थ यह है कि इसका प्रयोग राजनीतिक एवं समारोहों के अवसर पर किया जाता है तथा सरकार के दैनिक कार्य में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है।

नोट 2: वरीयता क्रम की इस तालिका में व्यक्ति का आर्डर एवं रैक निर्धारित होता है। इस तालिका में समान क्रम में प्रविष्टियों को को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इसमें समय-समय पर परिवर्तन भी होते रहे हैं। हालांकि, जहां अन्य राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिष्ठित लोगों को शामिल किया गया है, तथा राज्य से बाहर होने वाले किसी समारोह में जब उनके लिये क्रम निर्धारित करने में कोई बाधा आती है तो इसके अंतिम संशोधन वाले स्वरूप को ही स्वीकार किया जाता है।

नोट 3: आर्टिकल 7 में भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों का स्थान वैसे संघ के केंद्रीय मंत्रियों एवं लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता से ऊपर होता है। इसी प्रकार राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में होने वाले किसी समारोह में केंद्र के कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर स्थान रखते हैं।

नोट 4: (अ) आर्टिकल 8 में भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्तों का स्थान राज्य से बाहर राज्यों के मुख्यमंत्री तथा राज्यों के राज्यपाल से ऊपर होता है।

(ब) राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों से बाहर उन मुख्यमंत्रियों से ऊपर स्थान रखते हैं, जो अपने राज्य से बाहर होते हैं।

नोट 5: भारत का विदेश मंत्रालय विदेशी महत्वपूर्ण व्यक्तियों, भारतीय राजदूतों, भारतीय उच्चायुक्तों एवं मंत्रियों आदि को भारत दौरे के समय वरीयता क्रम निर्धारित करता है।

नोट 6: आर्टिकल 10 में उल्लिखित व्यक्तियों का वरीयता क्रम वास्तव में इस प्रकार होता है:

1. राज्यसभा के उप-सभापति
2. लोकसभा के उपाध्यक्ष
3. केंद्र के राज्य मंत्री (तथा रक्षा मंत्रालय में रक्षा संबंधी मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री)
4. राज्यों के उप-मुख्यमंत्री
5. नीति आयोग के सदस्य

हालांकि, राज्य का उप-मुख्यमंत्री जब राज्य से बाहर होता है तो उसका स्थान इन सभी से नीचे होता है।

नोट 7: राज्य विधान परिषद के सभापति का स्थान विध ानसभा अध्यक्ष से ऊपर होगा, यदि उनका निर्वाचन एक ही तिथि को हुआ हो।

नोट 8: जब किसी राजनीतिक समारोह में संसद सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है तो उनका स्थान मुख्य

न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राजदूत आदि के बाद होता है।

नोट 9: केंद्रशासित प्रदशों की विधानपरिषदों के सभापति तथा दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष का स्थान समान आर्टिकल में उल्लिखित कार्यकारी पार्षदों एवं मंत्रियों से पहले होगा।

नोट 10: आर्टिकल 23 में:

(अ) विदेश सचिव के अलावा विदेश मंत्रालय के अन्य सचिव स्वयं में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-1 की वरिष्ठता के आधार पर स्थान पाते हैं तथा उनका स्थान विदेश सचिव के बाद होता है।

(ब) अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का स्थान सदैव इन आयोगों के सचिवों से ऊपर होता है।

(स) दिल्ली या नयी दिल्ली में होने वाले किसी राजकीय समारोह में थलसेना के कमांडरों, थलसेना सेना के उपाध्यक्ष तथा इनके समकक्ष सेना अधिकारियों का स्थान सदैव भारत सरकार के सचिवों के बाद होता है।

नोट 11: आर्टिकल 25 में:

(अ) विदेश मंत्रालय के अपर सचिवों का स्वयं के बीच में स्थान भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-2 की वरिष्ठता के अनुसार होता है।

(ब) अपर सोलिसिटर जनरल का स्थान राज्यों के महाधिवक्ताओं से ऊपर होता है।

(स) दिल्ली के उपराज्यपाल का स्थान मुख्यमंखी, मेयर, विधानसभा अध्यक्ष एवं दिल्ली महानगरपालिका परिषद के अध्यक्ष से ऊपर होता है।

(द) केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्षों तथा दिल्ली महानगरपालिका परिषद के उपाध्यक्ष का स्थान केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्रियों एवं दिल्ली के पार्षदों से ऊपर होता है।

नोट 12: आर्टिकल 26 में भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के समान पदों की वरीयता क्रम का निर्धारण भारत का गृह मंत्रालय करता है।